29 March 2011 राष्ट्रीय सहारा पेपर

समितियां खरीदेंगी अनाज

नोडल विभाग होगा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

किरणेश कुमार

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी सभी विभागों के बीच समन्वय का कार्य
- नोडल एजेंसी बनाया गया है बिहार राज्य खाद्य निगम को

पटना। राज्य सरकार मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 80 लाख बीपीएल परिवारों को आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न की खरीद विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से करेगी। नोडल विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को और नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम को बनाया गया है। इसके लिए पूंजी की व्यवस्था सहकारिता द्वारा की जायेगी। साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो इस अधिप्राप्ति व्यवस्था में संलग्न सभी विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अधिप्राप्ति का कार्य मुख्यतः प्राथमिक कृषि सहयोग समिति (पैक्स) द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिस्कोमान, नेफेड एवं बिहार राज्य खाद्य निगम भी राज्य अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में कार्य करेगा। बिहार राज्य खाद्य निगम राज्य की अपनी अधिप्राप्ति व्यवस्था के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इन सभी एजेंसियों द्वारा क्रय किये गये धान की मिलिंग कराकर सीएमआर चावल एवं गेहूं अपने क्रय केंद्र से बिहार राज्य खाद्य निगम के नजदीकी गोदामों में आपूर्ति की जायेगी। इसे आवश्यकतानुसार राज्य खाद्य निगम वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु उपलब्ध करोगा। बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा सीएमआर चावल एवं गेहूं की प्राप्ति के पश्चात उसका मूल्य और देय इंसिडेंटल भुगतान सभी अधिप्राप्ति अभिकरणों को किया जायेगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार बिहार राज्य खाद्य निगम को करेगी।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक पैक्सों को प्रेरित किया जायेगा। वर्तमान में 2100 पैक्सों के पास एक-एक सौ टन क्षमता का गोदाम उपलब्ध है। ऐसे पैक्स जिनके पास अपना गोदाम नहीं है, वे अस्थायी भंडारण हेतु अपने कार्यक्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़े निजी मकानों को किराया पर लेंगे एवं इसमें जिला प्रशासन सहयोग करेगा। खाद्यान्नों की खरीद में पारदर्शिता एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से चयनित पैक्सों को राज्य में कार्यरत वसुधा केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। खाद्यान्न की खरीद पर होने वाले खर्च का आकलन एवं कार्यान्वयन संबंधित प्रशासी विपाग करेगा। संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार कालक्रम में योजना एवं प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग खाद्यान्न की अधिप्राप्ति के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्रवाई करेगा।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो अधिप्राप्ति व्यवस्था में संलग्न सभी विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगी। इस समिति में संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे और मुख्य सचिव समय-समय पर इस समिति के लिए अन्य पदाधिकारियों को नामित करेंगे। इस समिति द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए संसाधन की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी भूमिका की भी समीक्षा की जायेगी। अधिप्राप्ति कार्य का दायित्व किन अधिकरणों को दिया जायेगा तथा इस कार्य को करने वाले अभिकरणों को दिए जाने वाली इंसिडेंटल मद की राशि एवं अन्य किसी प्रकार की देय राशि के संबंध में भी यह समिति निर्णय करेगी।गौरतलब है कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 1.45 करोड़ है। इनमें से 65 लाख परिवारों के लिए ही केंद्र सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है। राज्य सरकार ने शेष 80 लाख बीपीएल परिवारों को अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक महीने 25-25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न की अधिप्राप्ति की जायेगी।